MAHARAJGANJ POLICE

सराहनीय कार्य का विवरण- दिनांक 07.07.2026

1. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर *01* वाहन को सीज कर *456* वाहनों का चालान किया गया।

2. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-* जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- *59* व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-170 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

3. "मिशन शक्ति "- मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति महिलाओं, बालिकाओं में सुरक्षा व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सशक्तिकरण के प्रति किया गया जागरुक।

4. पैदल गश्त - श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के आदेश के क्रम मे पैदल गश्त के तहत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बों में स्थित बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्रों एवं अन्य वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षार्थ सघन चेकिंग अभियान चलाकर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की गई। नागरिकों एवं आम जनमानस से संवाद स्थापित कर प्रमुख चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया, जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। जनपदीय पुलिस द्वारा 34 पुलिस एक्ट मे *56* व्यक्तियो के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

5. जन संवाद- पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरूओं, जनप्रतिनिधियों, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठकें कर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी

6. थानों द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण -

थाना श्यामदेउरवा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही– अभियुक्त 1.अमन कुमार पुत्र फूलबदन उम्र करीब 18 वर्ष 2.मदीप कुमार पुत्र राजकुमार उम्र करीब 18 वर्ष निवासीगण बनकटीया थाना श्यामदेउरवा 3.जलालुद्दीन पुत्र अनवर अली उम्र करीब 15 वर्ष निवासी चौपरिया थाना श्यामदेउरवा जनपद महराजगंज द्वारा आवेदिका की नोकिया मो0 फोन जिसका नं0-7304964320 को मो0सा0 यूपी 56 बीबी 0631 पर सवार दो अभियुक्त व एक बाल अपचारी द्वारा आवेदिका के जेब से चुरा लेना व बरामद होने के क्रम मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 105/2026 धारा 303(2) बीएनएस व बढ़ोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस के तहत कार्यवाही की गयी।

थाना घुघली पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही– अभियुक्त अबरार पुत्र सय्यद अली निवासी गोपाला नरायन टोला थाना घुघली जनपद महराजंगज उम्र करीब 32 वर्ष के कब्जे से 01अदद अवैध तमंचा 315 बोर बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 147/2026 धारा 3/25 आयुष अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही– अभियुक्त पंकज पुत्र सुरेश निवासी बैसार थाना बृजमनगंज जनपद महराजंगज के कब्जे से 22 अदद ट्रेटा पैक बन्टी बबली देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 200/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही– अभियुक्त श्याममोहन पुत्र सदानन्द निवासी बसडिला थाना पनियरा जनपद महराजंगज उम्र करीब 29 वर्ष के पास से 18 शीशी बन्टी बबली देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 201/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना नौतनवा पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही– अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र हरीराम निवासी नउवाडीह उर्फ देवपुर थाना नौतनवा जनपद महराजंगज उम्र करीब 46 वर्ष के पास से 12 अदद बन्टी बबली देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 131/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिन्दुरिया पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही– अभियुक्त संतोष शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी मुजहना बुजुर्ग थाना सिन्दुरिया जनपद महराजंगज उम्र करीब 49 वर्ष के पास से 15 अदद बन्टी बबली देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 149/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

7. विवेचना निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महराजगंज के निर्देशन में लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 12 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

8. जनपद में 06/07-07-2026 को विभिन्न अपराधों में कुल- 59 (शान्ति भंग) एवं आबकारी व अन्य मामलों सहित संबंधित समस्त अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।